भीम BHIM आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2,पंचम चरण,रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी–136/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गोरधन सिंह रेफरेन्स संख्या 20201000026668 ग्राम रुपाहेली द्वारा ग्रेनाइट एवं मैसनरी स्टोन खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पटटा/रेफरेन्स संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता
1	श्री गोरधन सिंह खसरा संख्या 117,118,119 एवं 120	20201000026668	1.3394	ग्रेनाईट	175728 टीपीए (आर.ओ.एम.)
2	मैसर्स विनायक मिनरल्स	201810000639	1.1623	ग्रेनाईट	92178 टीपीए
3	मैसर्स धरती धन स्टोन	2018100001701	1.5540	ग्रेनाईट एवं मैसनरी स्टोन	205772 टीपीए
4	श्री मांगी लाल	201810000293	2.5169	ग्रेनाईट	150000 टीपीए
5	श्रीमती अलका देवी शर्मा	201810000821	1.41	ग्रेनाईट	176498.4 टीपीए
6	श्रीमती नीलम बुगालिया	2019100004881	1.0	ग्रेनाईट	120744 टीपीए

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.9826 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–920920 टीपीए, ग्राम रुपाहेली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि श्री गोरधन सिंह रेफरेन्स संख्या 20201000026668 ग्राम रुपाहेली ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजनासे सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–
    1. जिला कलक्टर, टोंक।
    2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
    3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
    4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
    5. तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक।
    6. ग्राम पंचायत सिंधोलिया, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण/2022/346 दिनांक 13.01.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक **25/02/2022 को दोपहर 03:00 बजे, स्थान–राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय,** रुपाहेली, तहसील मालपुरा, जिला–टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तॅवर)
पर्यावरण अभियंता
एवं क्षैत्रीय अधिकारी